न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—09/2019

उनवान

1. श्री रघुकुल भूषण पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपूत नि0 खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

.... वादी

बनाम

1. श्री जोरावर पिता श्री केला बलाई नि0 आटूण तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री लक्ष्मण पिता श्री केला बलाई नि0 आटूण तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री मांगु आत्मज प्रताप बलाई नि0 खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा
   3/1 रामा पिता मांगु बलाई नि0 खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री कल्याण सिंह पिता श्री तख्त सिंह जाति राजपुत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::— **अधिवक्ता वादीगण —श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा उप0**
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या(1लगयात 4)— अनु0
पेरोकार सरकार— प्रतिवादी संख्या 05 उप0

—:: निर्णय ::—

दिनांक 27.09.2022

यह है कि वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू0अ0नि0 खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) की आराजी नम्बर 527 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 528 रकबा 04 चार बिस्वा आराजी नम्बर 1229 बारह सौ उनतीस रकबा 05 पांच बीघा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 1230 बारह सौ तीस रकबा 04 बिस्वा कुलकिता 04 चार रकबा 06 छह बीघा 05 पांच बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात जो वादी के खातेदारी हक अधिकार की होकर राजस्थ रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी करने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 14/2016 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

12 नवम्बर 2016 दो हजार सौलह को हुआ। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 की नियत में फितुर आ जाने से उन्होने माह मार्च 2018 में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने आराजी 1229 के दक्षिणी पूर्वी मेड पर 03 तीन बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। उक्त आराजियात की दिनांक 09 नो अप्रैल 2018 दो हजार अठारह को भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाया गया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार का आराजी नम्बर 1229 के दक्षिणी पूर्वी मेड पर 03 तीन बिस्वा अवैध कब्जा पाया गया।वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी नम्बर 1229 के दक्षिणी पूर्वी दिशा की तरफ 03 बिस्वा पर उनके द्वारा किये कब्जे को छोडने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार हर बार टालमटोल करते रहे व आज दिन तक कब्जा नहीं छोड़ा व अन्तिम बार बादी ने दिनांक 10 दस फरवरी 2019 दो हजार उन्नीस को उक्त आराजी पर किये गये अवैध कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार ने वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादीसंख्या 01 एक से 04 चार ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार उक्त आराजीयात से कब्जा नहीं छोड़ेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार का कुछ नहीं बिगाड सकते है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है एवं वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार के विरुद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 का सरहद खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1229 के दक्षिणी पूर्वी मेड़ पर 03 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय आज से माह मार्च 2018 दो हजार अठारह में कब्जा कर लेने व दिनांक 09 नो अप्रैल 2018 दो हजार अठारह को मौका पर्चा में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार का अवैध कब्जा पाया जाने व दिनांक 10 दस फरवरी 2019 दो हजार उन्नीस को प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार द्वारा कब्जा छोड़ने से इंकार कर देने से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।कि सरहद खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1229 के दक्षिणी पूर्वी मेड पर 03 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत संख्या 04 चार द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराने की कब्जेयाबी डिकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे व प्रतिवादीगण के कब्जे को पुलिस इमदाद के जरिये हटाया जाना [illegible] वादी संख्या 01 एक लगायत 04 द्वारा वादी की आराजीयात [illegible] वादी को कब्जा सिपुर्द होने की दिनांक तक का हर्जाना प्रतिमाह 50 — रूपये के हिसाब से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार से [illegible]या जावे। कि हर्जा खर्चा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

मुकदमा मय महनताना वकील एवं अन्य जो भी अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के पक्ष में दिलाना उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 19.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन/नोटीस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इसी दौरान वादी पक्ष द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के निधन हो जाने के कारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर की गई। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. बाद अध्ययन/परीक्षण मंजूर किया गया, एवं प्रतिवादी संख्या 04 का वारीसान को रिकॉर्ड पर लिया जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 23.03.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादीगण रघुकुल भूषण सिंह पिता कल्याण सिंह नि0 खैराबाद तह हमीरगढ के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 14/2016 रघुकुल भूषण सिंह बनाम जौरावर पारित आदेश दिनांकित 12.11.2016 की प्रतियां एवं इन आदेशों की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 09.04.2018 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी । मौका देखने से पहले भू अभिलेख निरीक्षक ने उक्त प्रार्थनापत्रों में वर्णित पड़ौसियान जिसमें कि प्रतिवादी श्री जोरावर आत्मज केला बलाई नि0 आटूण भी है उसको भी सूचनापत्र जारी किये थे और उनकी मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर पर्चा मौका बनाया था। इन सूचनापत्रों की प्रतियां भी साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी है। साक्ष्य में प्रदर्श मार्क किये गये ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–78 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादी की भूमि है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

–:: आदेश ::–

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 सरहद खेराबाद प0ह0 [illegible] 0अ0नि0 खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1229 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा मे से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का पूर्वी मेड़ [illegible] कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (भील.)

हमीरगढ़ को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (भी.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 09/2019

उनवान

1. श्री रघुकुल भूषण पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपूत नि0 खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

.... **वादी**

बनाम

1. श्री जोरावर पिता श्री केला बलाई नि0 आटूण तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री लक्ष्मण पिता श्री केला बलाई नि0 आटूण तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री मांगु पिता श्री प्रताप बलाई नि0 खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा
   3/1 रामा पिता मांगु बलाई नि0 खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री कल्याण सिंह पिता श्री तख्त सिंह जाति राजपुत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::– **अधिवक्ता वादीगण –श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा उप0**
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या(1लगयात 4)– अनु0
पेरोकार सरकार– प्रतिवादी संख्या 05 उप0

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 सरहद खैराबाद प0ह0 खैराबाद भू0अ0नि0 खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1229 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा मे से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का पूर्वी मेड पर 03 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, हमीरगढ़ को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:11 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)